न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं

अनुवान ब्रह्मानन्द आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या –596../2025

निर्णय दिनांक 19/12/25

1.ब्रह्मानन्द पुत्र गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं हाल राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2.छोटूराम पुत्र गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
3.किरण पुत्री गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
4.गजानंद पुत्र गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
5.प्रेमलता पुत्री गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
6.भीखीदेवी पत्नी गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
7.मंजू पुत्री गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
8.मांगीलाल पुत्र गुलाब चन्द सोनी जाति सुनार निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 486 के खसरा नं. 1516/888 तादादी 9.7114 है0 एवं खाता संख्या 176 के खसरा नं. 679 तादादी 0.9357 है0, खसरा नं. 736 तादादी 1.1001 है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गुलाबाराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम गुलाब चन्द सोनी है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गुलाबाराम के स्थान पर गुलाब चन्द सोनी किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः खाता संख्या 486 के खसरा नं. 1516/888 तादादी 9.7114 है0 एवं खाता संख्या 176 के खसरा नं. 679 तादादी 0.9357 है0, खसरा नं. 736 तादादी 1.1001 है0 रोही ग्राम सात्यूं तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम गुलाबाराम Delete कर इसके स्थान पर गुलाब चन्द सोनी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......19/12/25को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 सात्यूं में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)